



2026:AHC:1881

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3770, वर्ष 2025

रवीन्द्र मौर्या
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कमलेश कुमार तिवारी
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. श्री अनस अहमद जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तिवारी की जगह उपस्थित हुए, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार राय, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।
2. यह जनहित याचिका (पी.आई.एल.) निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"न्याय के हित में, परमादेश की प्रकृति का एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 5 को सार्वजनिक उपयोग की भूमि (नवीन परती)—आराजी संख्या 286, जिसका क्षेत्रफल 0.015 हेक्टेयर है और जो ग्राम फरसरा खुर्द, तहसील घोसी, जिला मऊ में स्थित है—से बेदखल करें।"
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही में, विवादित भूखंड के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ तहसीलदार द्वारा बेदखली और हर्जाने का अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उस आदेश को मौके पर लागू नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखंड से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. शासकीय अधिवक्ता और गाँव सभा के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत हुई कार्यवाही में पारित आदेश को लागू करने/क्रियान्वित करने के लिए दायर यह जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
6. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही में, तहसीलदार द्वारा विवादित भूखंड के संबंध में बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है।
7. यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश को लागू करने के लिए, यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैराग्राफ 460 में उपाय बताया गया है; इसलिए, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश को लागू करने/क्रियान्वित करने के लिए यह जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है।
8. तदनुसार, यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि कानून के अनुसार, यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैराग्राफ 460 में दिए गए प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

6 जनवरी 2026

सी. प्रकाश